1–मतदेय स्थलों का मानकीकरण (Rationalisation of Polling Stations):-

रिटर्निंगं आफिसर हस्तपुस्तिका के अध्याय–2 एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तद् विषयक समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार निम्न बिन्दुओं के आधार पर विद्यमान मतदेय स्थलों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन किया जा सकता हैः–

1.1– वर्तमान मतदेय स्थल भवन के कदाचित क्षतिग्रस्त होने या जीर्ण–शीर्ण होने की स्थिति में उसी क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन प्रस्तावित करना।

1.2– वर्तमान मतदेय स्थल भवन से संबंधित शिक्षण संस्थान का उच्चीकरण होने अथवा अन्य किसी कारण से नाम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मतदेय स्थल का नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव।

1.3– ग्रामीण क्षेत्र में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या–1200 से अधिक होने पर मतदाताओं की सुविधा हेतु उसी क्षेत्र में नए मतदेय स्थल का प्रस्ताव।

1.4– शहरी क्षेत्र में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या–1400 से अधिक होने पर मतदाताओं की सुविधा हेतु उसी क्षेत्र में नए मतदेय स्थल का प्रस्ताव।

1.5– ग्रामीण क्षेत्र में किसी भवन पर दो से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में किसी भवन पर चार से अधिक मतदेय स्थल स्थापित नहीं किए जा सकते।

1.6– यदि किसी मतदेय स्थल के मतदाताओं को अपने निवास से मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए 02 किमी0 से अधिक पैदल दूरी तय करनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाताओं के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है।

1.7– यदि किसी मतदेय स्थल तक पहुँचने के लिए उसमें सम्मिलित किन्हीं मतदाताओं को बहुत अधिक जंगली रास्ता, बीहड़, नदी–नाला आदि पार करना पड़ता है तो मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है।

1.8– प्रस्तावित मतदेय स्थल में मूल–भूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, विद्युत, रैम्प, मतदाताओं को धूप–वर्षा से बचाव के लिए शेड (छाया)/विश्राम कक्ष, तथा प्रवेश–निकास के लिए दो अलग–अलग दरवाजे आदि यथा संभव उपलब्ध होने चाहिए।

1.9– मतदेय स्थल भवन के 200 मीटर की परिधि में किसी राजनैतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए। मतदेय स्थल किसी पुलिस थाना, अस्पताल, मन्दिर, धर्मशाला या धार्मिक स्थानों में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। किसी निजी भवन में मतदेय स्थापित नहीं किया जायेगा।

1.10– मुख्य रूप से उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए भवन परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जांय।

2– राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण National Electoral Rolls Purification

विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा निर्वाचक नामावलियों को शत–प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित ढंग से अद्यावधिक बनाए रखने के लिए **NERP** का विशेष कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जायेगाः–

2.1– राज्य में सामान्यतः निवास कर रहे समस्त अर्ह नागरिकों के नाम जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके है, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करना।

2.2– किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं होना चाहिए, साफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे नागरिकों का विवरण तैयार कर उनका नाम नियमानुसार किसी एक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से हटाया जाना।

2.3– विद्यमान निर्वाचक नामावली में पंजीकृत ऐसे निर्वाचक जो अब सामान्यतः उस क्षेत्र में निवास नहीं करते, या कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई है,के नाम निर्वाचक नामावली से हटाना।

2.4– शत–प्रतिशत युवाओं, महिलाओं के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करना, निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को शुद्ध करना। सभी निर्वाचकों के फोटोपहचान पत्रों, नामावली में उपलब्ध फोटोग्राफ की पुष्टि करना तथा त्रुटिपूर्ण या अस्पष्ट फोटो के स्थान पर सही फोटो चस्पा